

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

झारखण्ड राज्य सरकार
बनाम

विजय रविदाम

श पत्रक ता0-09/01/25 से

तक

जिला- बोकारो

केश सं0-40/2024-25

केश का प्रकार- झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण।

आदेश क्रम संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गयी कार्रवाई
के बारे में टिप्पणी तारीख
सहित

09/01/2025

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक अंचल कार्यालय, गोमिया के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि गोमिया अंचल अन्तर्गत मौजा- गोमिया, थाना सं0-110, खाता सं0-272, प्लॉट सं0-1673, रकबा-1.02 ए0 भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है, जिसमें विजय रविदास, पिता-प्रभु रविदास एवं प्रकाश रविदास, पिता-स्व0 लखन रविदास, ग्राम+थाना- गोमिया, जिला-बोकारो के द्वारा अनाधिकृत रूप से चाहरदिवारी निर्माण कर दिया गया है, जो झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(1)(e) के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि है।

अतः झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा-3 के तहत उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक-05/02/25 को उपस्थापित करें।



अंचल अधिकारी,
गोमिया

89
15/01/25 Notice

05/02/25

अभिलेख उपस्थापित। किपशी के नोटिस तारीख किया गया। उनसे डाा अजिब बी गई है। अलोहाशापी के अन्त मर्प के उक्त रहने के मात न्यायालय कार्य नहीं हो सक।

अभिलेख दिनांक - 28/02/2025 को रखें।


अंचल अधिकारी
गर्मिना

28/02/25

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी अनुपस्थित हैं।
अभिलेख दिनांक - 26/03/2025 को रखें।


अंचल अधिकारी

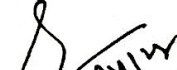
26/03/2025

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी अनुपस्थित हैं।
अभिलेख दिनांक - 25/04/2025 को रखें।


अंचल अधिकारी
गर्मिना

25/04/25

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी अनुपस्थित हैं।
अयोध्याशरी के अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय नहीं आ सका।
दि 19/05/2025


अंचल अधिकारी

19/05/25

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी अनुपस्थित हैं।
विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए कानून नोटिस लिख दिए। दि 11/06/25


अंचल अधिकारी
गर्मिना

10/6
21/05/25 notice

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख के
साथ

2

3

6/18

अभिलेख उपलब्ध। डिमीन पक्ष के ओर
से एक आवेदन पर संपूर्ण किया जाता है।
आवेदन पर के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि
प्रकरण युक्ति से संबंधित वाद 4(h) के तहत
दजे हैं, जिसका वाद सं० - 63/ 2014-15 है।
ऐसी स्थिति के आ वाद के कमीवारी संपन्न
की जाती है।

लेखापत्र एवं संग्रोचित।


अंचल अधिकारी
जीजिमा


अंचल अधिकारी
जीजिमा